



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272232
CG-DL-E-04052026-272232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2110]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2110]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2197(अ).— पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 06 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना का.आ. 5278 (असा.) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्वारा लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टणम पत्तन (मैसर्स अदानी कृष्णापट्टणम पत्तन लिमिटेड) हेतु समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात के लिए अधिसूचना को पीईएसओ की क्लीअरेंस की वैधता के बराबर अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. पीडी-25018/2/2019-पीडी- VII]

वेंकटेशपति एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2197(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways S.O. 5278(E) dated 6th December, 2024, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Krishnapatnam Port in Andhra Pradesh {M/s Adani Krishnapatnam Port Limited} for importing petroleum into India by sea for the period equivalent to the validity of clearance of PESO.

[F. No. PD-25018/2/2019-PD-VII]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.